भा. कृ. अनु. प.-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,

क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, भरूच

बारा क्षेत्र के साधनहीन अनुसूचित जनजाति किसानों को "प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण"

आईसीएआर-सीएसएसआरआई, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, भरूच द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों की जीविका सुधार तथा प्रशिक्षण के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम "जनजातीय उप-योजना" के अंतर्गत 29 जनवरी, 2026 को केंद्र के समनी प्रायोगिक फार्म में आयोजित किया गया। भरूच जिले के चार तालुकाओं (जम्बूसर, वाघरा, भरूच तथा आमोद) के 15 गांवों (वछनाद, पालड़ी, सलादरा, ओरा, रहड, तनछा, केसलु, कांकरिया, वाडिया, मंजोला, आमोद, इटोला, कुरचन, छिद्रा, त्रालसी) के अनुसूचित जनजाति के 50 किसानों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। किसानों की जीविका सुधार के लिए कृषि में काम आने वाले तीन वस्तुएं, 100 kg धान्य संग्रहण टंकी, बैटरी स्प्रेयर 20 lt तथा सोलर टोर्च का वितरण किया गया। अनुसूचित जनजाति के किसानों से आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर लिए गए। सर्वप्रथम केंद्र के अध्यक्ष डा. अनिल चिंचमलातपुरे के द्वारा किसानों को 'जनजातीय उप-योजना' कार्यक्रम का उद्देश्य समझाया गया तथा संस्थान के उद्देश्य कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी। इसके पश्चात् डॉ. मोनिका शुक्ला द्वारा वैज्ञानिक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया गया| आज के बदलते परिदृश्य में खेती में आने वाली विभिन्न परेशानियों तथा उनके संभावित समाधान के बारे में चर्चा की गयी| किसानों को उर्वरकों के वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में भी जानकारी दी गई| इस क्षेत्र की काली लवणीय मृदाओं के लिए लवण सहिष्णु गेंहूं तथा सरसों की किस्म की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया| इसके पश्चात डा. बिशवेश्वर गोरेन द्वारा लवणीय मृदा प्रबंधन, मिट्टी का नमूना लेने तथा मिट्टी में पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया| अंत में किसानों ने वैज्ञानिकों से बातचीत की और खेती में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में पूछा। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के तकनीकी अधिकारी चंपक तवियाड, बलवंत डामोर, दिनेश मीना तथा दिलीप वाघेला, उपस्थित रहे तथा अपना सहयोग प्रदान किया|

प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण

प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण

प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण

प्रशिक्षण तथा सामग्री वितरण